



JAMSHEDPUR WOMEN'S COLLEGE

JAMSHEDPUR - 831037

(A Constituent Autonomous College of Kolhan University)

College with Potential for Excellence by University Grants Commission, New Delhi

Phone No. : (0657) 2249105 / 2941922 / 2233423 / 2249661, Fax : (0657) 2249105

Website : www.jsrwomenscollege.ac.in, E-mail : jsrwomenscollege@gmail.com

"A" Grade by NAAC Bangalore

Ref. No. : JWC /.....

Date :.....

Admission Notice for U.G. [B.A, B.Sc, B.Com] through Chancellor Portal

Publication of first Provisional selection list - **24-08-2020**

Period of Admission against first selection list -
25-08-2020 to 31-08-2020

Publication of second Provisional selection list
(subject to the availability of vacant seat) - **02-09-2020**


Period of Admission against second selection list -
03-09-2020 to 07-09-2020

Online Induction Programme of U.G. Semester -I will be on
18-09-2020

Online classes will start from **19-09-2020**

N.B:-

1. The admission will be provisional and it will be confirmed only after the physical verification of certificates/documents after the opening of the college.
2. Fabrication in any form may lead to the cancellation of admission and further no claim can be made by the students.
3. Selected students may visit the college website www.jsrwomenscollege.ac.in for the detail information of admission process.


Principal

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोरायादी, राँची-834008
फोन-0651 2552855, ई-मेल: jsmfde.ranchi@gmail.com

सूचना संख्या : 89

राँची, दिनांक 17.08.2020

**वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए
पी.मेट्रिक,पोस्ट मेट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक सूचना**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित पी.मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अभिसूचित अल्पसंख्यक (सुरिजन, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के छात्र-छात्राओं को निर्धारित मानदण्ड के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

पी.मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं से आवेदन-पत्र (नवीन एवं नवीकरणीय दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक आम्त्रित किये जाते हैं)।

आवेदन करने की प्रक्रिया :-

अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को केन्द्र ऑनलाइन (Online) आवेदन (वेबसाइट, www.scholarships.gov.in) करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदन करना है। अन्यथा किसी भी तरह के अन्य आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए www.scholarships.gov.in में दिये गये Guidelines तथा FAQs को अवश्य देखें।
विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए :-

झारखण्ड राज्य के सभी विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई./विश्वविद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान (जहाँ अल्पसंख्यक शीर्ष छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं) के प्रधानाचार्य/अध्यक्ष/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2020-21 हेतु नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर शिक्षण संस्थानों का रजिस्ट्रेशन करना / KYC कराने की प्रक्रिया चल रही है। जो शिक्षण संस्थान NSP Portal पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा अपने जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु शिक्षण संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) कोमं जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय की उपलब्ध करना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) किसी अन्य कार्यालय द्वारा होगा अथवा शिक्षण संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) कोमं जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, ऐसे शिक्षण संस्थान के छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

E/o

PR 231805 (Schedule Tribe, Schedule Caste, Minority and
Backward Class Welfare Department)20-21*D

राज्य नोडल पदाधिकारी,
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, झारखण्ड, राँची